

प्रसार भारती / PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक) / (INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
दूरदर्शन महानिदेशालय / DG: DOORDARSHAN
कॉपरनिकस मार्ग / COPERNICUS MARG,
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001

F.No. 904/51/2022-23/APIO/RTI/CAPIO/CPIO/FAA


Dated : 21.02.2024

कार्यालय आदेश / Office Order

विषय/Subject : सीपीसी के कार्यक्रम अनुभाग [डीडी उर्दू और डीडी किसान अनुभागों] केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामांकन हेतु / Declaration of CPIO & FAA for (DD Urdu & DD Kisan) CPC, Delhi.

महानिदेशालय: दूरदर्शन कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.07.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, समक्ष प्राधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती सचिवालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) & 19(1) के तहत [डीडी उर्दू और डीडी किसान], अनुभागों के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री लोकमान सिंह, उप-महानिदेशक (अभि.) को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं श्री अतुल गुप्ता, अपर-महानिदेशक (प्रशा.) (उत्तरी क्षेत्र) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

In partial modification of DG:DD office Order even number dated 31.07.2023. The CEO, Prasar Bharati has accorded its approval to designate Shri Lokman Singh, Dy. Director General (Engg.) as Central Public Information Officer, under Section 5(1) and Shri Atul Gupta, Addl. Director General (A) (NZ) as First Appellate Authority, under Section 19(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to (DD Urdu & DD Kisan), CPC, Delhi.



(Surender Singh)
Dy. Director General (Admn.) & CPIO (RTI)

To,

1. श्री अतुल गुप्ता, अपर-महानिदेशक (प्रशा.) (उत्तरी क्षेत्र) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, (डीडी उर्दू और डीडी किसान), सीपीसी, दिल्ली / Shri Atul Gupta, Addl. Director General (A) (North Zone) & First Appellate Authority (DD Urdu & DD Kisan), CPC, Delhi.
2. श्री लोकमान सिंह, उप-महानिदेशक (अभि.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (डीडी उर्दू और डीडी किसान), सीपीसी, दिल्ली / Shri Lokman Singh, Dy. Director General (Engg.) & CPIO (DD Urdu & DD Kisan), CPC, Delhi.

Copy to :-

Shri S.A. Tripathi, DDG(E) & CPIO, Prasar Bharati Sectt. with a request to upload the above Officer Order on the RTI webpage and e-office notice board.